

500509/A

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त(सामान्य) अनुभाग-3

संख्या- 37/2017/सा-3-774/दस-2017-  
301/2000 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

Government of Uttar Pradesh  
Finance ( General ) Section-3

NO. 37/2017-G-3-774/X-2017- 301/2000

T.C.

Dated : Lucknow : 14 December , 2017

Office - Memorandum

विषय:-राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों  
आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of dearness relief to State  
Government's civil / family  
pensioners.

राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को  
महंगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-  
20/2017/सा-3-365/दस-2017-301/2000 टी0सी0 दिनांक  
14 जुलाई, 2017 द्वारा दिनांक 01-01-2017 से महंगाई  
राहत की दर 02 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत की गयी  
थी।

Vide Government order No.  
20/2017/Sa-3-365/X- 2017- 301 /  
2000 TC dated July 14, 2017 the  
dearness relief admissible to  
pensioners / family pensioners of the  
state was increased from 02 percent  
to 04 percent w.e.f January 01, 2017.

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि  
उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन  
निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार  
संशोधित/स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर  
श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2017 से महंगाई  
राहत की 01 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की  
सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- The undersigned is directed to say  
that the Governor is pleased to grant  
one more installment of dearness  
relief of 01 percent w.e.f. July 01,  
2017 on the pension/ family pension  
revised / determined under the  
provisions of the government orders  
Issued under the recommendations of  
Uttar Pradesh Pay committee 2016.

3- पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में उपर्युक्त  
बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत  
की दर 04 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जुलाई, 2017  
से 05 प्रतिशत हो जायेगी।

3- As a consequence of the above-  
mentioned 01 percent rise, the  
dearness relief payable on the  
pension/family pension will rise from  
existing 04 percent to 05 percent with  
effect from July 01, 2017.

4- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के  
आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया  
जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में  
लिया जायेगा।

4- In the calculation of dearness relief,  
fraction of a rupee less than its half  
shall be ignored while half or more  
shall be counted as one rupee.

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

6- यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य मँहगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- मँहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

नील रतन कुमार  
विशेष सचिव, वित्त।

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners are being issued separately.

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

7- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

Neel Ratan Kumar  
Special Secretary, Finance.

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।